



कार्यालय प्रभारी छात्र कल्याण,  
उ०प्र० पं० दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय  
एवं गौ-अनुसंधान संस्थान, मथुरा- 281001

पत्र संख्या:- 82 / प्र०छा०क० / 2024-25

दिनांक:- 2 जून, 2024

### रैगिंग क्या है

विश्वविद्यालय में अध्ययनरत् छात्र/छात्रा भारत का राजपत्र 04-07-2009, भाग-03, खण्ड-04, में प्रकाशित निम्नलिखित जानकारियों से अवगत हो जायें:-

रैगिंग की सूचना प्राप्ति एवं पुष्टि के उपरान्त अपराधी के विरुद्ध पुलिस में एफ०आई०आर० 24 घण्टे के अन्दर दर्ज की जायेगी तथा दण्ड संस्तुति की जायेगी। रैगिंग के अन्तर्गत निम्नलिखित अपराध हैं।

- 1- रैगिंग हेतु उकसाना।
- 2- रैगिंग का अपराधी षड्यंत्र।
- 3- रैगिंग के समय अवैध ढंग से एकत्र होना तथा उत्पात करना।
- 4- रैगिंग के समय जनता को बांधित करना।
- 5- रैगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता भंग करना।
- 6- शरीर को चोट पहुंचाना।
- 7- गलत ढंग से रोकना।
- 8- अपराधिक बल प्रयोग।
- 9- प्रहार करना, यौन सम्बन्धित अपराध अथवा अप्राकृतिक अपराध।
- 10- बलात् ग्रहण।
- 11- आपराधिक ढंग से बिना अधिकारी दूसरे के स्थान में प्रवेश करना।
- 12- सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराध।
- 13- आपराधिक धमकी।
- 14- मुसीबत में फंसे व्यक्तियों के प्रति उपर्युक्त में से कोई अथवा सभी अपराध करना।
- 15- उपर्युक्त में से कोई अथवा सभी अपराध पीड़ित के विरुद्ध करने हेतु धमकाना।
- 16- शारिरिक अथवा मानसिक रूप से अपमानित करना।
- 17- रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध।

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक : तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. नोटिस बोर्ड सभी महाविद्यालय/संस्थान/छात्रावास।
2. अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा एवं पशुपालन/जैवप्रौद्योगिकी/स्नातकोत्तर शिक्षा।
3. निदेशक, पैरावैटैरिनरी साइंस संस्थान।
4. कुलसचिव, दुवासु मथुरा।
5. समन्वयक, आई.क्यू.ए.सी. सैल, दुवासु मथुरा।
- ✓ 6. प्रभारी, ऐरिस सैल, दुवासु मथुरा को इस आशय के साथ कि उक्त को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
7. निजी सचिव को माननीय कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।

प्रभारी छात्र कल्याण

प्रभारी छात्र कल्याण

प्रभारी छात्र कल्याण

उ०प्र० वैटैरिनरी विश्वविद्यालय, मथुरा